



राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, राज0,जयपुर

क्रमांक:-प.2(सब)/जी-39/आ0कृ0/ग्रुप-9/

दिनांक:-

कार्यालय-आदेश


राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय 9 के नियम 56 के तहत निम्न सहायक कृषि अधिकारी जो कि अर्द्धवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं को उनके नाम के सामने कॉलम 4 में अंकित तिथि को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां लम्बित नहीं है।

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्त तिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम
1	श्री राधेश्याम शर्मा	05.06.1958	30.06.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) कुचामन सिटी
2	श्री सुरजभान सिंह	02.10.1958	30.10.2018	सहायक निदेशक कृषि (वि0) कुचामन सिटी
3	श्री शिवराज सिंह	16.01.1959	31.01.2019	सहायक निदेशक कृषि (वि0) कुचामन सिटी
4	श्री हरीश कुमार शर्मा	10.07.1959	31.07.2019	सहायक निदेशक कृषि (वि0) कुचामन सिटी

सेवानिवृत्त होने की दिनांक तक यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई जांच प्रकरण लम्बित हो जाता है या कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन हो जाती है तो उसकी सूचना तुरन्त आयुक्तालय को प्रेषित कर जारी किया गया जांच प्रमाण- पत्र को निरस्त कराने की कार्यवाही करावे।

उक्त आदेश श्रीमान आयुक्त कृषि महोदय से अनुमोदित है।




(सोमेन्द्र शर्मा)  
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

क्रमांक:-प.2(सब)/जी-39/आ0कृ0/ग्रुप-9  
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

189-98

दिनांक 3-5-18

- 1 संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) सीकर।
- 2 उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, नागौर।
- 3 सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कुचामन सिटी।
- 4 एनालिस्ट कम प्रोगामर मुख्यालय जयपुर को विभागीय वैवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 संबंधित कार्मिक.....।
- 6 निजी पंजिका।



(उदयभान सिंह)  
उप निदेशक कृषि (प्रशासन)